राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–2282/2012/सीकर

राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक, नीम का थाना, सीकर .....प्रार्थी

बनाम

1. करण सिंह पुत्र श्री गुदड़ सिंह
   मकान न. 256, माडी, तहसील महरोली, नई दिल्ली–47
2. मगराज सैनी पुत्र सूरजराम सैनी
   निवासी पडिहारा, तहसील सुजानगढ़, जिला–चुरू .....अप्रार्थी

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से

अनुपस्थित **(एकपक्षीय बहस सुनी गई)** ....अप्रार्थीगण की ओर से

दिनांक : 02.03.2017

निर्णय

1. यह निगरानी राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक, नीम का थाना, सीकर द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 04.06.2012 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) बीकानेर ने स्वविवेक से प्रारम्भ किये गये प्रकरण को पारित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पाठन तहसील नीम का थाना जिला सीकर स्थित 1800/– रूपये के किता नगर 3 रूपये 500/– व नग 3 रूपये 100/– कुल नग 6 खनन पट्टा वास्ते खनिज चेजा पत्थर क्षेत्र 1.00 हैक्टर का वार्षिक स्थिर भाटक रूपये 15,000/– पर कार्यालय आदेश क्रमांक खअ/सीकर /अप्र/खप–419/04/5146 दिनांक 01.09.2005 एवं सम संख्या आदेश दिनांक 31.03.2006 से मगराज सैनी पुत्र श्री सुरजराम सैनी निवासी पड़िहारा, तहसील सुजानगढ़, जिला चुरू (राजस्थान) के पक्ष में अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ। जिसका संविदा पंजीयन दिनांक 04.04.2006 का होकर पट्टा प्रभाव में आया। उक्त दस्तावेज के द्वारा खनिज अभियंता, सीकर द्वारा निष्पादित खनन लीज के हस्तान्तरण विलेख का दस्तावेज पंजीकृत किया गया था। पट्टाधारी श्री मगराज सैनी द्वारा दिनांक 25.04.2008 को खनन पट्टा का हस्तानान्तरण श्री करण सिंह पुत्र श्री गुदड़ सिंह निवासी मकान नं. 256, मांडी तहसील महरोली नई दिल्ली–47 के पक्ष में करावाने हेतु आवेदन शुल्क के रूपये 2,000/– एवं प्रीमियम शुल्क के रूपये 15,000/– इस प्रकार कुल रूपये 17,000/– दिनांक 25.04.2008

02/03/17

लगातार.....2.

से जमा करवाते हुए प्रस्तुत किया गया है, उक्त हस्तान्तरण पत्र दिनांक 18.01.2010 को पंजीकृत किया गया। महालेखाकार, राजस्थान जयपुर द्वारा ऑडिट आक्षेप किया गया कि मुद्रांक शुल्क बाजार दर से निर्धारण किया जाना चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 के इस जवाब के आधार पर कि वित्त विभाग (कर अनुभाग) राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.2(18)वित्त/कर/96–42 जयपुर दिनांक 24.08.2007 द्वारा खान विभाग द्वारा निष्पादित खनन लीज के हस्तान्तरण के विलेख पर देय मुद्रांक कर घटाकर बाजार मूल्य के स्थान पर वार्षिक किराये की दोगुणा, प्रतिभूति की राशि, हस्तान्तरण शूल्क, मौके पर किये गये विकास कार्यों की लागत एवं अन्य विविध व्यय को जोड़कर उक्त लिखित हेतु निर्धारित मुद्रांक की दर से देय होना चाहिए, के आधार पर प्रकरण में बाजार मूल्य के स्थान पर उपरोक्त परिपत्र के आधार पर मुद्रांक कर वसूल किये जाने के आदेश दिये हैं जिसके विरूद्ध राज्य पक्ष द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3. निगरानी दर्ज कर रिकॉर्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. प्रकरण में एकपक्षीय बहस विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की सुनी गई।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2012 विधि तथा तथ्य एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के विरूद्ध है, अतः मुद्रांक कर बाजार दर से देय होना चाहिए। प्रकरण में परिपत्र संख्या 05/09 के बिन्दू संख्या 3(।) के अनुसार जहां लीज अधिकारों का हस्तान्तरण होता है वहां मुद्रांक कर धारा 21 के अनुसार कन्वेन्स मानते हुए देय है। इन्होंने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर रेफरेन्स स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया।

7. प्रार्थी राजस्व निगरानीकर्ता की ओर से मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उसमें वर्णित आधार संतोषजनक होने से इनका निर्णय गुणावगुण पर करना श्रेयस्कर होगा। अतः उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

8. विचारार्थ प्रकरण में उप–पंजीयक द्वारा निगरानी में राज्यपक्ष का मुख्य आधार यह है कि माईनिंग लीज डीड का हस्तान्तरण विचाराधीन दस्तावेज के द्वारा हुआ है जिससे मुद्रांक कर बाजार दर से देय होना चाहिए क्योंकि परिपत्र संख्या 05/09 के बिन्दु

लगातार.....3.

02/03/17

संख्या 3(।) के अनुसार जहां लीज अधिकारों का हस्तान्तरण होता है, वहां मुद्रांक कर धारा 21 के अनुसार कन्वेन्स मानते हुए देय है।

विचाराधीन प्रकरण में पंजीबद्ध हुए दस्तावेज के द्वारा लीज डीड के अधिकारों का हस्तान्तरण हुआ है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने वित्त विभाग (कर अनुभाग) राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.2(18)वित्त/कर/96—42 जयपुर दिनांक 24.08.2007 द्वारा खान विभाग द्वारा निष्पादित खनन लीज के हस्तान्तरण के विलेख पर देय मुद्रांक क्रर घटाकर बाजार मूल्य के स्थान पर वार्षिक किराये की दोगुणा, प्रतिभूति की राशि, हस्तान्तरण शूल्क, मौके पर किये गये विकास कार्यों की लागत एवं अन्य विविध व्यय को जोड़कर उक्त लिखित हेतु निर्धारित मुद्रांक की दर से देय होना चाहिए, के आधार पर प्रकरण में बाजार मूल्य के स्थान पर उपरोक्त परिपत्र के आधार पर मुद्रांक कर वसूल किये जाने के आदेश दिये हैं। उपरोक्त परिपत्र दिनांक 24.08.2007 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार खनिज विभाग द्वारा निष्पादित खनन लीज के हस्तान्तरण के विलेख पर देय मुद्रांक कर घटाकर बाजार के स्थान पर वार्षिक किराया (डेडरेन्ट) की दोगुना एवं प्रतिभूति, हस्तान्तरण शूल्क, मौके पर किये गये विकास कार्यों की लागत एवं अन्य विविध व्यय को जोड़कर कुल प्रतिफल के रूप में संदेय राशि पर उक्त लिखित हेतु निर्धारित मुद्रांक कर की दर से देय होने का उल्लेख है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार ही दस्तावेज का मूल्यांकन किया है, जो विधिसम्मत है।

9. राज्य पक्ष का निगरानी में यह आधार भी है कि परिपत्र संख्या 05/09 के बिन्दु संख्या 3(।) के अनुसार जहां लीज अधिकारों का हस्तान्तरण होता है वहां मुद्रांक शुल्क धारा 21 के अनुसार कन्वेन्स मानते हुए देय है। निगरानी का यह आधार भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि परिपत्र संख्या 05/09 विचाराधीन प्रकरण में प्रश्नगत दस्तावेज दिनांक 25.04.2008 को निष्पादित होकर दिनांक 18.01.2010 को पंजीबद्ध हुआ है जिस पर अधिसूचनां दिनांक 24.08.2007 लागू मानी जाएगी।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2012 व अधिसूचना दिनांक 24.08.2007 के प्रकाश में विधिसम्मत है तथा इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः राजस्व की ओर से प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार किए जाने योग्य है।

11. परिणामस्वरूप प्रार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर के आदेश दिनांक 04.06.2012 की पुष्टि की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।

02/03/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य